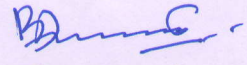


भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई।	जनपद-एटा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-91 किमी० 186.000 से 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों एवं 858 पौधों कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन/क्षति की अनुमति हेतु प्रस्ताव।
14.	क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ, दिनांक 23.11.2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण नोट संलग्न है।
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 23.11.2017
स्थान:-अलीगढ़।


(बी० प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

✓